न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0ः–136/2006

गणेश तिवारी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

मोहन तिवारी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.10.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.06.2023 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 21.06.2023 में कहा गया है कि बयनामा दस्तावेज राजाराम ठाकुर बनाम फुलदेव तिवारी दस्तावेज सं0–5050 वर्ष 1966 वाद बिन्दु निर्धारण के समय वादी के पास उपलब्ध नही था। इसलिए इसे दाखिल नही किया गया। काफी खोजबीन करने के पश्चात् दस्तावेज वादी को उपलब्ध होने के पश्चात वादी नकल निकाल कर दाखिल कर रहे है। न्यायहित में निवेदन है कि आवेदन में वर्णित दस्तावेज को अभिलेख में ग्रहण करने की कृपा की जाय ताकि इसका प्रदर्श अंकित हो सके। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 12 एवं 13 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 23.08.2023 को दाखिल किया गया जिसमें वादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टि कोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण द्वारा अपने आवेदन में यह नही बताया गया है कि दस्तावेज वादीगण को किस स्त्रोत से प्राप्त हुआ है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज समय पर दाखिल नही किया गया है परंतु फिर भी न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज को मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुये अभिलेख पर	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0ः–136/2006

गणेश तिवारी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मोहन तिवारी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **19.10.2023**	रखने का आदेश दिया जाता है तथा वादीगण के आवेदन दिनांक 21.06.2023 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 24.11.2023 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	